

24/4/25

पत्रावली आज पेश हुई। वाडीनी व उनके वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार आवेजे लगाई गई बावजूद वाडीनी व उनके वकील जैर हाजिर रहे।  
अतः पत्रावली जैर हाजिरी एवं भद्रप पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कुलम शुमार होकर दाखिले इफ्तार हो एवम् नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O) चौहटन

